5.बर्तन चन्दा

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग-1 संख्या: २५5/ XLI-1/2016-61/09 देहरादून : दिनांक : 15 फरवरी, 2016 वर्ड

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध राजकीय/महिला/ग्रामीण एवं राज्य के नियंत्रण में संनाकित अनुवादित प्राविधिक सरकार के नियंत्रण में संचालित अनुदानित पालिटेक्निक संस्थानों के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-752-ए/XXIV(8)/10-61/09 दिनांक 08.06.2010 के द्वारा शिक्षण शुल्क निर्धारित किया गया था। अब सम्यक विचारोपरांत उक्त कार्यालय आदेश द्वारा निर्धारित शुक्क के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2016-17 से निम्न तालिका के कालम-4 में उल्लिखित शुक्क निर्धारित किया जाता है:-

(धनराशि रूपये में) पूर्व निर्घारित वार्षिक राजकीय/सहायता शैक्षिक सत्र 2016-17 प्राप्त क.स. पालिटेक्निकों हेतु शुक्क की मदें से निर्घारित शुल्क की शुल्क वार्षिक दरें। 3 . 6000 शिक्षण शुल्क 8000 छात्रनिधि शुल्क 1.प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन 50 -50 2.परिचयन पत्र शुलक 50 50 3.कीडा शुल्क 250 250 4.वार्षिकोत्सव शुल्क 100 100 5.शैक्षिक परीक्षा शुल्क 100 200 6.मैगजीन शुलक 100 100 7.हॉबी सेंटर शुल्क 50 V 50 8.विद्युत शुल्क 700 1000 2 9.कॉसन मनी संस्थागत 100 Y 200 10.शैक्षिक / औद्योगिक भ्रमण 300 150 300 500 11.अनुरक्षण शुल्क 1500 1000 12.कम्प्यूटर/इंटरनेट शुल्क 125 500 250 13.विकास/भवन विकास शुल्क 300 500 14.पुस्तकालय शुक्क (30) 100 100 X 15.छात्र वैलफेयर शुल्क 100 × 100 16.एन.सी.सी. शुल्क 100 % 100 17.पुस्तकालय कांशन मनी 100 2 100 योग:-5000 3950 छात्रावास शुल्क 1.छात्रावास शुल्क 600 600 2.छात्रावास काशन मनी 200 200 3.छात्रावास अनुरक्षण शुल्क 3 1000 2000 4.छात्रावास विद्युत शुल्क 1100 700

50

2550

(GV) -

100

4000

बोर्ड परीक्षा शुल्क मुख्य परीक्षा शुल्क	500	राजकीय—500 निजी क्षेत्र—500
(सभी छात्रों हेतु एक समान)	200	200
परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क बैक पेपर परीक्षा शुल्क (समान रूप	200 / - प्रति विषय	200
से)	250 / - प्रति विषय	250
स्कूटनी शुल्क अंकतालिका शुल्क (संस्था द्वारा निर्गत करने पर) (परिषद द्वारा निर्गत करने पर) पुर्नमूल्यांकन	20 30 2000 / — प्रति विषय ात्र निधि शस्क एवं छा	20 30 2000 त्रावास शुल्क छात्रों

उपर्युक्त शुल्क में से शिक्षण शुल्क, छात्र निधि शुल्क एवं छात्रावास शुल्क

सेनेस्टरवार रूप में प्राप्त कियां जायेगा। उपर्युक्त बढ़ा हुआ शुल्क शैक्षिक सत्र 2016-17 से प्रवेशित नये छात्रों से ही लिया

जायेगा। पुराने छात्रों से पूर्व का शुल्क ही लिया जायेगा।

शुल्क के संबंध में पूर्व में निर्गत किये गये शासनादेश / कार्यालय आदेश आदि उक्त सीमा तक ही संशोधित समझे जायेंगे।

(ओम प्रकाश) प्रमुख सचिव।

संख्याः २५८(1)/XLI-1/2016-61/09 तददिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून। 1.

मुख्य सचिव, उत्ताराखण्ड शासन। 2.

सचिव, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड। 3. सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।

निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, श्रीनगर गढवाल। 5.

सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा, रूडकी।

समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त पालिटेक्निक के प्रधानाचार्य (द्वारा निदेशक) 6. 7.

निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून। 8.

गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

(दिनेश कुमार पुनेठा)

अनु सचिव।